

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBA No. 06/2022
GST Circular No. 01/2022

No. 2017/AC-II/1/6/GST/Main/Vol. III

07th January 2022

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units/CRIS

Sub: GST Update – Change in CGST Rules, 2017 with respect to Input Tax Credit Reconciliation

Ref: RBA No. 095/2019/ GST Circular No. 27/2019 dated 14th October 2019

Central Board of Indirect Taxes and Customs ('CBIC') has issued Notification No. 40/2021-Cental Tax dated 29th December 2021 whereby the hitherto notified CGST Rules, 2017 have been further amended.

Pursuant to said notification, *inter alia*, Rule 36(4) concerning availment of Input Tax Credit ('ITC') has been amended with effect from 01st January 2022. These rules provided for reconciliation of ITC concerning inward supplies with details auto-populated under FORM GSTR-2A along with availment of provisional ITC to the tune of 20% which was thereafter reduced to 5%. Reference in this respect can be made to letter cited above.

Now vide aforementioned amendment, the rule has been amended as under:

“(4) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes the details of which are required to be furnished under sub-section (1) of section 37 unless,-

(a) the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility; and
(b) the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in FORM GSTR-2B under sub-rule (7) of rule 60.”

Thus, consequent to this amendment read with Section 16(2)(aa) of CGST Act, 2017, with effect from **01st January 2022**, subject to fulfilment of other prescribed conditions concerning availment of ITC, ITC shall be availed by a registered person if:

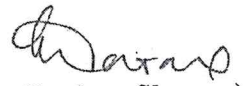
- the details of invoices or debit notes concerning inward supplies of the registered persons have been **reported by the suppliers** under their respective FORM GSTR-1/ Invoice Furnishing Facility etc. and
- details of such invoices or debit notes are **auto-populated in FORM GSTR-2B** of the recipient.

To apprise with FORM GSTR-2B, below is the summary of the same for quick reference:

- FORM GSTR-2B is an **auto-drafted ITC statement** that is generated on the basis of the details furnished by suppliers under respective FORM GSTR-1/Invoice Furnishing Facility, FORM GSTR-5 and FORM GSTR-6. Additionally, FORM GSTR-2B also encompass details of import of goods as well as supply of goods from SEZ Units/Developers.
- Unlike FORM GSTR-2A, FORM GSTR-2B is **static** i.e., once auto-populated for a particular tax period, the same is not changed.
- The details of ITC auto-populated under FORM GSTR-2B are those that have been reported under aforementioned returns **between due date of furnishing for previous month to the due date of furnishing for the current month.**
- Further, the documents furnished by the suppliers in any of aforementioned return would **reflect in the next FORM GSTR-2B of the recipient** irrespective of the date of issuance of the concerned document i.e. say, an invoice for the month of November 2021 but reported by supplier under FORM GSTR-1 for January 2022 will be reflected in FORM GSTR-2B for January 2022 and not November 2021.
- Please note that FORM GSTR-2B segregates certain ITC as '**ITC Not available**' based on certain provisions under GST laws such as filing of aforementioned returns beyond due date of September for the following Financial Year by the suppliers, supplier's GSTIN and place of supply are in the same state while recipient is in another state. It is imperative to note that such segregation by GSTN portal do not restrict recipient from determining the eligibility of ITC in compliance with other provisions of GST laws i.e. other provisions of GST laws such as blocked credit also needs to be factored in determining the available eligible ITC.

In line with the aforementioned amendment, with effect from 01st January 2022, there will not be any availment of provisional ITC and all ITC to be availed under FORM GSTR-3B should be based on 100% reconciliation with FORM GSTR-2B. CRIS is requested to ensure ITC

reconciliation under FORM GSTR-3B for the tax period of **December 2021** and onwards with FORM GSTR-2B accordingly. Instructions regarding ITC availment in respect of period prior to December 2021, which has not been availed so far, will follow.


(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
2. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
3. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board.
4. Managing Director, CRIS-Chanakyapuri, New Delhi
5. Director/Finance, CRIS, New Delhi
6. GM/GSTM, CRIS, New Delhi
7. GM/AIMS, CRIS, New Delhi
8. M/s Velocis, through MD/CRIS

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 06/2022
जीएसटी परिपत्र सं. 01/2022

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी/मेन/वॉल. III

07 जनवरी, 2022

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां/क्रिस

विषय : जीएसटी अपडेट - इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के संबंध में सीजीएसटी नियम, 2017 में परिवर्तन।

संदर्भ : दिनांक 14 अक्टूबर 2019 का आरबीए सं. 095/2019/जीएसटी परिपत्र सं. 27/2019.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2021 को अधिसूचना सं. 40/2021 केंद्रीय कर जारी की गई है, जिसके द्वारा अभी तक अधिसूचित सीजीएसटी नियम, 2017 को आगे संशोधित किए गए हैं।

उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, इनपुट टैक्स क्रेडिट ('आईटीसी') प्राप्त करने संबंधी नियम 36(4) को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से संशोधित किया गया है। इन नियमों में आईटीसी के समाधान के लिए, फॉर्म जीएसटीआर-2ए के अंतर्गत ऑटो-पॉप्युलेटेड के साथ-साथ 20% अनंतिम आईटीसी, जिसे तत्पश्चात् 5% तक घटा दिया गया था, प्राप्त करने के साथ-साथ आवक आपूर्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया था। इस संबंध में उपरोक्त पत्र का संदर्भ लिया जा सकता है।

अब ऊपर उल्लिखित संशोधन के द्वारा, ये नियम निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :

“(4) किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बीजकों और डेबिट नोटों के संबंध में जिनके ब्यौरे खंड 37 के उप खंड (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक, -

(क) आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में अथवा बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का प्रयोग करते हुए जावक आपूर्तियों के ब्यौरों में ऐसे बीजकों या डेबिट नोटों के विवरण प्रस्तुत न कर दिए गए हों; और

(ख) नियम 60 के उप-नियम (7) के अंतर्गत ऐसे बीजकों या डेबिट नोटों के विवरण पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-2बी में सूचित न कर दिए गए हों।

इस प्रकार, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के खंड 16(2)(ए) के साथ पठित 1 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त इस संशोधन के परिणामस्वरूप, आईटीसी प्राप्त करने की अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आईटीसी प्राप्त किया जाएगा, यदि :

- पंजीकृत व्यक्तियों की आवक आपूर्तियों के संबंध में बीजकों और डेबिट नोटों के ब्यौरे उनके संबंधित फॉर्म जीएसटीआर-1/बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा आदि के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट कर दिए गए हों, और
- ऐसे बीजकों या डेबिट नोटों के ब्यौरे प्राप्तकर्ता के फॉर्म जीएसटीआर-2 में ऑटो-पॉप्युलेटेड हो गए हों।

फॉर्म जीएसटीआर-2बी से अवगत कराने के लिए, तत्काल संदर्भ हेतु संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- फॉर्म जीएसटीआर-2बी एक ऑटो-ड्राफ्टेड आईटीसी विवरण है जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संबंधित फॉर्म जीएसटीआर-1/बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा, फॉर्म जीएसटीआर-5 और फॉर्म जीएसटीआर-6 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर जेनेरेट होता है। इसके अतिरिक्त, फॉर्म जीएसटीआर-2बी, एसईजेड इकाइयों/विकासकों से वस्तुओं के आयात और माल की आपूर्ति के विवरणों को भी शामिल करता है।
- फॉर्म जीएसटीआर-2ए के विपरीत, फॉर्म जीएसटीआर-2बी स्थैतिक है अर्थात्, एक बार किसी कर अवधि के लिए ऑटो-पॉप्युलेट हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन नहीं होता।
- फॉर्म जीएसटीआर-2बी के अंतर्गत ऑटो-पॉप्युलेटेड आईटीसी के ब्यौरे वे हैं, जो ऊपर उल्लिखित रिटर्न के अंतर्गत पिछले महीने प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और चालू माह के लिए प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बीच रिपोर्ट किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ऊपर उल्लिखित किसी भी रिटर्न में प्रस्तुत दस्तावेज़, उनके जारी होने की तारीख पर विचार किए बिना प्राप्तकर्ता के अगले फॉर्म जीएसटीआर-2बी में प्रदर्शित होंगे अर्थात् जैसे, कोई बीजक नवंबर 2021 का है परंतु आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 के अंतर्गत जनवरी 2022 में रिपोर्ट किया

गया है तो वह जनवरी 2022 के फॉर्म जीएसटीआर-2बी में दिखेगा न कि नवंबर 2021 में।

- कृपया ध्यान दें कि फॉर्म जीएसटीआर-2बी कुछ आईटीसी को 'आईटीसी अनुपलब्ध' के रूप में जीएसटी नियमों के अंतर्गत कुछ प्रावधानों जैसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए सितंबर की अंतिम तारीख के बाद ऊपर उल्लिखित रिटर्न दाखिल करना, आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में है जबकि प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में है, के आधार पर पृथक करता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जीएसटीएन पोर्टल द्वारा इस प्रकार के पृथक्करण से प्राप्तकर्ता को जीएसटी कानूनों के अन्य प्रावधानों अर्थात् जीएसटी कानूनों के अन्य प्रावधान जैसे ब्लॉक किए गए क्रेडिट को भी उपलब्ध पात्र आईटीसी के निर्धारण में खंडित किए जाने की आवश्यकता है, के साथ अनुपालन में आईटीसी की पात्रता निर्धारित करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

दिनांक 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी ऊपर उल्लिखित संशोधन के समान, कोई भी अनंतिम आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा और फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले सभी आईटीसी 100% फॉर्म जीएसटीआर-2बी के समायोजन पर आधारित होंगे। तदनुसार, क्रिस से अनुरोध है कि वह दिसंबर 2021 और उससे आगे की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत आईटीसी का समायोजन फॉर्म जीएसटीआर-2बी से करना सुनिश्चित करे। दिसंबर 2021 से पहले की अवधि, जिसका अभी तक आईटीसी नहीं लिया गया है, के लिए आईटीसी प्राप्त करने संबंधी दिशानिर्देश इसके बाद जारी किए जाएंगे।



(संजीव शर्मा)

विशेष कार्य अधिकारी/लेखा

रेलवे बोर्ड